ऑन लाईन नं.GCMS2023/278

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 119/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकाारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री भगवान गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता —(खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक)—
मै0 अग्रवाल ट्रेडर्स, अरोडवंश मन्दिर के पास, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय **दिनांक : 24.05.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः–एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः–आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.03.2022 को दोपहर बाद 2.00 पीएम को **मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स, अरोड़वंश मन्दिर के पास, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर** पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता **भगवान गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता** (खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक), **को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे हुए खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (अग्रवाल ट्रेडर्स) के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वंय को दुकान का मालिक बताया तथा** दुकान पर रखी 500–500 ग्राम की 40 पॉली पैक जिस पर अग्रवाल ट्रेडर्स की पर्ची चिपकी हुई है **खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (अग्रवाल ट्रेडर्स) को आमजन** के बेचान वास्ते होना बताया। इसी **मिर्च पाउडर (अग्रवाल ट्रेडर्स)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जॉच हेतू **मिर्च पाउडर (अग्रवाल ट्रेडर्स) का** नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण आम जनता के विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (अग्रवाल ट्रेडर्स)** 500–500 ग्राम 4 पॉली पैक को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **मिर्च पाउडर (अग्रवाल ट्रेडर्स)** का नगद भुगतान 480/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **भगवान गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **भगवान गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ऑन लाईन नं.GCMS2023/278

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिर्च पाउडर (अग्रवाल ट्रेडर्स)** 500–500 ग्राम की चारों मूल पॉली पैक पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1445** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1445** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा **भगवान गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/413/एक्ट/2022/413 दिनांक 25.03.2022 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–1445 **Misbranded Food Under Secation 3(1)(zf)(c)(i) pf Food Safety and Standards Act-2006.** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **भगवान गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता** खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स, अरोड़वंश मन्दिर के पास, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर** द्वारा **Misbranded Food, Mirch Powder** (अग्रवाल ब्राण्ड)का विक्रय किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.10.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है किः–

1. यह कि उत्तरदाता अग्रवाल ट्रेडर्स के नाम से अरोड़वंश मन्दिर पुरानी सब्जी मण्डी के पास श्रीगंगानगर में किरयाना व्यवसाय करता है जो लघु स्तर पे है और ये ही उत्तरदाता व उसके परिवार की जीविका का साधन है, जिस पर उत्तरदाता स्वयं कतई कोई उत्पाद तैयार नहीं करता है ना ही पैकिंग करता है बल्कि पैकड अथवा सीलबंद खाद्य उत्पाद उत्तरदाता थोक में लेकर बेचान करता है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

2. यह कि उत्तरदाता ने उत्तरदाता की दुकान से भरे गये लाल मिर्च पाउडर सील पैक को न तो बनाया था, न ही स्वयं स्तर से पैक किया था, सील पैक लाल मिर्च पाउडर खोलकर सैम्पल भरा गया था, जिसकी जांच उत्तरदाता को अतिरिक्त सैम्पल हस्ताक्षर अधीन जांच अधिकारी द्वारा देकर निष्पक्ष जांच करवा लेने का अवसर नहीं दिया, तथापि राजकीय नियंत्रण अधीन जांच लैबोरेटरी से जांच अधिकारी द्वारा ही अपने स्तर पर जांच करवाने पर जो संज्ञान तथ्य उत्तरदाता को हुआ है, उसके अनुसार भरे गये सैम्पल में कतई कोई ऐसा पदार्थ अपमिश्रित नहीं था, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हो या जिसका सेवन कर लिया जाना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो।
3. यह कि उत्तरदाता कतई बोनाफाईड है जिसने संज्ञान में न तो कोई सब–स्टैण्डर्ड खाद्य उत्पाद लाल मिर्ची पाउडर बेचने के लिये खरीदा, ना रखा, न बेचा न पैक किया, न तैयार किया। उत्तरदाता की उपरोक्त जवाबदेही तथ्य अधीन क्योंकि उत्तरदाता के विरूद्व कोई उपराध स्थापित नहीं होता है ना ही कोई निष्पक्ष सुनिश्चित जांच हुई है, न ही कोई जांच अधिकारी ने अथवा किसी ग्राहक ने सैम्पल भरा जाना बताये गये लाल मिर्च पाउडर का सेवन किया है, न खरीद किया है, वर्णित परिस्थितियों में उत्तरदाता के विरूद्व प्रस्तुत परिवाद कतई पोषणीय नहीं है।

अतः निवेदन है कि तथ्यों की रूह में उत्तरदाता के विरूद्व जैरकार परिवाद दाखिल दफ्तर पूर्व माननीय अदालत को आवश्यक प्रतीत हो तो मुक्कमिल जांच एवं निष्प्यक्षता विचारण सुनिश्चित करते हुए उत्तरदाता को साक्ष्य से प्रति परीक्षा का अवसर दिया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **मिर्च पाउडर (अग्रवाल ट्रेडर्स)** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/413/एक्ट/2022/413 दिनांक 25.03.2022 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–1445 **Misbranded Food Under Secation 3(1)(zf)(c)(i) pf Food Safety and Standards Act-2006.** होना पाया गया, उक्त जांच रिपोर्ट पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी अग्रवाल ट्रेडर्स के नाम से अरोड़वंश मन्दिर पुरानी सब्जी मण्डी के पास श्रीगंगानगर में किरयाना व्यवसाय करता है जो लधु स्तर पे है और ये ही उत्तरदाता व उसके परिवार की जीविका का साधन है, जिस पर उत्तरदाता स्वयं कतई कोई उत्पाद तैयार नहीं करता है ना ही पैकिंग करता है बल्कि पैकड अथवा सीलबंद खाद्य उत्पाद उत्तरदाता थोक में लेकर बेचान करता है। प्रार्थी की दुकान से भरे गये लाल मिर्च पाउडर सील पैक को न तो बनाया था, न ही स्वयं स्तर से पैक किया था। जांच अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच करवा लेने का अवसर नहीं दिया, तथापि राजकीय नियंत्रण अधीन जांच लैबोरेटरी से जांच अधिकारी द्वारा ही अपने स्तर पर जांच करवाने पर जो संज्ञान तथ्य मुझ प्रार्थी को हुआ है, उसके अनुसार भरे गये सैम्पल में कतई कोई ऐसा पदार्थ अपमिश्रित नहीं था, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हो या जिसका सेवन कर लिया जाना के कारण स्वास्थ्य कोई विपरीत प्रभाव पड़े। प्रार्थी कतई बोनाफाईड है

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

जिसने संज्ञान में न तो कोई सब–स्टैण्डर्ड खाद्य उत्पाद लाल मिर्ची पाउडर बेचने के लिये खरीदा, ना रखा, न बेचा न पैक किया, न तैयार किया। प्रार्थी की उपरोक्त जवाबदेही तथ्य अधीन है क्योंकि प्रार्थी के विरूद्व कोई उपराध स्थापित नहीं होता है ना ही कोई निष्पक्ष सुनिश्चित जांच हुई है, न ही कोई जांच अधिकारी ने अथवा किसी ग्राहक ने सैम्पल भरा जाना बताये गये लाल मिर्च पाउडर का सेवन किया है, न खरीद किया है, वर्णित परिस्थितियों में प्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत परिवाद कतई पोषणीय नहीं है। अतः परिवाद खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Mirch Powder (अग्रवाल ब्राण्ड)" bearing Code No and Sr. No. K-1445, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food Under Secation 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **भगवान गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **भगवान गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता** को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 1,00,000–00 (अखरे रूपये एक लाख मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **भगवान गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)